भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 563
गुरूवार, 21 जुलाई, 2022/30 आषाढ़, 1944 (शक)

नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस) द्वारा दी जाने वाली करियर संबंधी सलाह

563. श्री कनकमेदला रवींद्र कुमारः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस) के अंतर्गत देश भर में नौकरी तलाशने वालों को करियर संबंधी सलाह दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने करियर संबंधी सलाह के माध्यम से नौकरी तलाशने वाले लोगों को हुए लाभ के संबंध में कोई आकलन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ) : मंत्रालय, देश में विभिन्न प्रकार की करियर संबंधी सेवाएं जैसे रोजगार मैंचिग, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी आदि प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना (एनसीएसपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। नौकरी चाहने वालों / पोर्टल पर पंजीकृत उम्मीदवारों को, गुणवत्तापूर्ण परामर्श सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल पर करियर परामर्शदाताओं का एक नेटवर्क है। इसके अलावा, राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना के तहत, विभिन्न जिला रोजगार कार्यालयों और संस्थानों में स्थापित आदर्श करियर केंद्रों के माध्यम से करियर परामर्श और व्यावसायिक मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाता है। दिनांक 30 जून 2022 तक, नौकरी चाहने वालों को उपयुक्त नौकरी के विकल्प में सहायता करने के लिए एनसीएस के माध्यम से 1,57,989 परामर्श सत्र बुक/आयोजित किए गए हैं।

*****